

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)
(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर)

Phone No. - 02973-294337

Email- dlsa20jalore@gmail.com

क्रमांक :- जि.वि.से.प्रा./जा/पी.एल.वी./विज्ञप्ति/2021-22/05

दिनांक- 18/12/2021

-:: विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ 2()/रालसा/डीएस-प्रथम/26081-26111 दिनांक 13.9.2019 एवं पत्रांक 2(37)/पीएलवी/डीएस-प्रथम/20000-35 दिनांक 24.11.2021 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के जिले की प्रत्येक पंचायत समिति (पंचायत समिति आहोर व सांचौर को छोड़कर) मुख्यालयों पर स्थापित विधिक सेवा केन्द्र के संचालन हेतु कुल 29 पैरालीगल वोलेंटियर के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

पंचायत समिति का नाम	जालोर	सायला	भीनमाल	जसवंतपुरा	बागोडा	रानीवाडा	सरनाऊ	चितलवाना	कुल
पीएलवी की संख्या	10	04	03	02	04	01	04	01	29

- शैक्षणिक योग्यता :-** आवेदक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी एवं क्षमता होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र :-** इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
- साक्षात्कार/परीक्षा :-** आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर योग्य आवेदकों का साक्षात्कार लिया जायेगा, साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों को पी.एल.वी. का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात सफल रहे अभ्यर्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।
- चरित्र :-** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- शारीरिक योग्यता :-** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं व परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए व राजनीतिक परिपेक्ष से नहीं होना चाहिए।
- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें :-**
 - जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
 - दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।
 - आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें)।
 - मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिए आवेदन किया जा रहा है उस हेतु पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासी होने के सत्यापन के संबंध में दस्तावेज आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र।

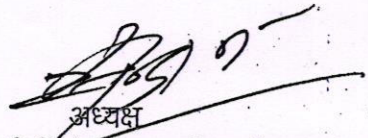

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जालोर

7. **आवेदन की अंतिम तिथि:-** आवेदनकर्ता जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालय पर दिनांक 10.01.2022 तक जिला कार्यालय एवं तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. **पात्रता:-** पैरा लीगल वॉलेन्टियर का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पैरा लीगल वॉलेन्टियर चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने के साथ-साथ स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत अलग-अलग गांव के निवासी होने की शर्त की पालना करने वाले आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। पंचायत समिति का स्थानीय निवासी नहीं मिलने पर पडौस अथवा नजदीकी पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा। निम्नांकित व्यक्ति पैरालीगल वॉलेन्टियर हेतु आवेदन कर सकते हैं:-
1. सेवानिवृत्त अध्यापक/वरिष्ठ नागरिक।
 2. आंगनवाडी कार्यकर्ता।
 3. विधि छात्र/छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हो)।
 4. गैर राजनीतिक दलों के सदस्य।
 5. एन.जी.ओ. क्लब, महिला ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
 6. शिक्षित बंदी, जिसका व्यवहार अच्छा हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो।
 7. अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।
9. **चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर के कर्तव्य (ड्यूटी):-**
1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना।
 2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित करने एवं होने वाले फायदों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
 3. पैरालीगल वॉलेन्टियर द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
 4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी प्रदान करना।
 5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल/कारागृह, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उसमें निवासरत व्यक्ति अथवा बन्दी को विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना।
 6. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
 7. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
 8. पी.एल.वी. द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।


अध्यक्ष
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 (जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
 जयपुर

9. पी.एल.वी द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थायी लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, दूरसंचार, सड़क/परिवहन सेवा, विद्युत, जल, बीमा, अस्पताल, बैंक एवं वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाइड गैस संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
10. विहित प्रपत्र में पैरालीगल वोलेन्टियर द्वारा प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यों का निस्तारण जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालय को अग्रिम माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से सुपुर्द करेंगे। वांछित दस्तावेज के अभाव में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
11. पंचायत समिति पर स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक में कार्य करने वाले पैरालीगल वोलेन्टियर को समय समय पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. पैरालीगल वोलेन्टियर विधिक सेवा क्लिनिक पर उपलब्ध रजिस्टर व विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर स्वयं द्वारा प्रमाणित किये जाने के साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित करवायेंगे। माह की समाप्ति के उपरान्त रिपोर्ट संबंधित माह के रजिस्टर व विहित डायरी में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणीकरण की स्व-प्रमाणित व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति को प्रेषित करेगा।
13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं से संबंधी उपलब्ध करवाई गई सामग्री का पैरा लीगल वोलेन्टियर द्वारा पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में प्रचार-प्रसार करना।
14. पैरालीगल वोलेन्टियर द्वारा विधिक सेवा केन्द्रों की गतिविधियों के संचालन के संबंध में नालसा (लीगल एण्ड क्लिनिक्स) स्कीम 2010 व रेगुलेशन 2011 लागू होंगे।
10. **साक्षात्कार :-** जालोर न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र पैरा लीगल वोलेन्टियर के साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना के बारे में जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। साक्षात्कार हेतु चयनित पैरा लीगल वोलेन्टियर की सूची जिला न्यायक्षेत्र की अधिकृत वेबसाइट <http://districts.ecourts.gov.in/jalore> पर भी उपलब्ध करवायी जायेगी।
11. **स्पष्टीकरण :-** यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात् पंचायत समिति स्तर पर पैरा लीगल वोलेन्टियर कार्य करना चाहता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पैरा लीगल वोलेन्टियर का चयन पूर्णतया अस्थायी होगा तथा इनकी सेवाएं बिना किसी नोटिस/परिलाभ के समाप्त की जा सकेंगी तथा यह नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। चयनित पैरालीगल वोलेन्टियर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशों के अधीन समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट :- आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करे।


 अध्यक्ष
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
 (जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
 जालोर

क्रमांक :- जि.वि.से.प्रा./जा/पी.एल.वी./विज्ञप्ति/2021-22/6116-32 दिनांक- 18/12/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जालोर।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल/रानीवाड़ा/सांचोर को सूचनार्थ एवं विज्ञप्ति की एक प्रति समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रसार-प्रचार हेतु चस्पा किये जाने बाबत प्रेषित हैं।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि जिले की समस्त पंचायत समितियों में उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रसार-प्रचार हेतु चस्पा की जावें।
6. जिला रोजगार अधिकारी, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर प्रसार-प्रचार हेतु चस्पा की जावें।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी को प्रचारार्थ।
8. अध्यक्ष, बार एसोशिएशन, जालोर/भीनमाल/रानीवाड़ा/सांचोर।
9. आशापूर्णा विधि महाविद्यालय, जालोर।
10. आयुक्त, नगर परिषद्, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रसार-प्रचार हेतु चस्पा की जावें।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जालोर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।



अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जालोर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर
(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर)

Phone No. – 02973-294337

Email- dlsa20jalore@gmail.com

पैरा लीगल वोलेन्टियर्स (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

1.	आवेदक का नाम	:	
2.	पिता/पति का नाम	:	
3.	पति/पत्नी का नाम	:	
4.	विवाहित/अविवाहित	:	
5.	जन्म तिथि	:	
5.(1)	वर्तमान आयु (दिनांक 01.01.2022 को)	:	
6.	संवर्ग-सामान्य/अ.जा./अ.ज. जा./अ.पि.व./वि.पि.व	:	
6.(1)	जाति	:	
7.	स्थायी पता	:	
8.	वर्तमान पता	:	
9.	संबंधित पंचायत समिति का नाम	:	
10.	पडौस की पंचायत समिति का नाम	:	
11.	आवेदक पी.एल.वी. के रूप में जिस स्थान/क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है उस पंचायत समिति का नाम	:	
12.	निकटतम पुलिस स्टेशन	:	
13.	शैक्षणिक योग्यता	:	
14.	अन्य अनुभव	:	
15.	यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए	:	
16.	आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो प्रकरण का पूर्ण विवरण दें	:	
17.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एन.जी.ओ., या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण	:	
18.	कम्प्यूटर ज्ञान (हां/नहीं)	:	

आवेदक का स्वयं का हस्ताक्षरशुदा पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी ..
..... सत्यापित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं..... पंचायत समिति..... में स्थित क्लिनिक में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ।
दिनांक :-

(आवेदक के हस्ताक्षर)